

संदर्भ सं. राबैं.गुजरात क्षेका/ 83377/ डीपीएसपी / 42/2024-25

15 November 2024

अहमदाबाद में नाबार्ड, गुजरात के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में कार्यालय स्टेशनरी की आपूर्ति और मुद्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं का एम्पेनलमेंट

नाबार्ड अहमदाबाद में अपने कार्यालय भवन के लिए स्टेशनरी और मुद्रण सेवाओं की खरीद के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं का एक पैनल तैयार करना चाहता है, जो दो वर्षों तक वैध होगा। वे सेवा प्रदाता ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जिनका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में स्थित हो।

एम्पेनलमेंट के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है, जिसे एम्पेनलमेंट के नियमों और शर्तों सहित अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ, बैंक की वेबसाइट <https://www.nabard.org> और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) <https://eprocure.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

निर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप से भरे हुए और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों को सीलबंद लिफाफे में मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, गुजरात क्षेका, 120 फीट रिंग रोड, शांति नगर, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, गुजरात 380013 को प्रस्तुत करें। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "कार्यालय स्टेशनरी की आपूर्ति और मुद्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के एम्पेनलमेंट के लिए आवेदन" लिखें। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 दिसंबर 2024 दोपहर 3:00 बजे तक है।

जो विक्रेता पहले से ही बैंक में एम्पेनलमेंट हैं और जिनका एम्पेनलमेंट 20 दिसंबर 2024 तक है, यदि वे पैनल में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें भी पुनः आवेदन करना होगा। विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निवारण बैंक के प्रतिनिधि और विक्रेता/विक्रेता के प्रतिनिधि के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से किया जाएगा। यदि दूसरे पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवादों और मतभेदों का सौहार्दपूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाता, तो उभरे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार

NABARD intends to prepare a panel of reputed suppliers/service providers valid for two years, for procurement of stationery and printing services for its office building in Ahmedabad. For this purpose, the service providers who have registered offices in Ahmedabad are only eligible to apply.

The application for empanelment should be made in the prescribed format which, along with the other relevant details, including terms and conditions of empanelment, can be downloaded from the Bank's website <https://www.nabard.org> and Central Public Procurement Portal (CPPP) <https://eprocure.gov.in>.

The applications, duly filled in the prescribed format and complete in all respects, may be submitted in a sealed cover clearly superscribing it as "Application for Empanelment of Service Providers for Supply of Office Stationery and providing Printing Services" to the Chief General Manager, NABARD Gujarat RO, 120 Feet Ring Rd, Shanti Nagar, Usmanpura, Ahmedabad, Gujarat 380013.

The last date for submission of application is 06 December 2024 up to 3:00 p.m.

The vendors who are already empaneled by the Bank and whose empanelment is up to 20 December 2024 are also required to apply afresh if they want to continue on the panel. Disputes or differences whatsoever arising shall be resolved amicably between the Bank's representative and the vendor/ vendor's representative. In case of failure to resolve the disputes and differences amicably within 30 days of the receipt of notice by the other party, then the same shall be settled by arbitration in accordance with the Arbitration and



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय

Gujarat Regional Office

नाबार्ड टावर, नैसिम्स गार्डन के सामने, उस्मानपुरा, अहमदाबाद-380013. टेली : +91-79-2755 2257/58/59 फैक्स : 91-79-2755 1584 ईमेल : ahmedabad@nabard.org

NABARD Tower, Opp. Municipal Garden, Usmanpura, Ahmedabad-380013. Tel : +91-79-2755 2257/58/59 Fax : +91-79-2755 1584 Email : ahmedabad@nabard.org



मध्यस्थता से निपटाया जाएगा और उसके अनुसरण में दिया गया निर्णय अंतिम, निर्णायक और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान अहमदाबाद में होगा।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Conciliation Act, 1996 and the award made in pursuance thereof shall be final, conclusive and binding on the parties. The venue of the arbitration shall be at Ahmedabad.

The Bank reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reasons, therefore.

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
उप महाप्रबंधक